



सीटू मजदूर

सी. आइ. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सी आइ टी यू जनरल काँसिल बैठक:

श्रमिक वर्ग को संघर्ष तेज करने का आह्वान

□ पी. के गांगुली

पांच से आठ जनवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित सी आइ टी यू जनरल काउंसिल की बैठक ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव स्वीकार कर मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि आइ एम एफ के निर्देशों पर बनी तथाकथित नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ 1997 में नरसिंह राव निजाम के दौरान उसने जो संयुक्त संघर्ष शुरू किए थे उन्हें और तेज करे।

महासचिव द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट पर दो दिन तक व्यापक बहस हुई। रिपोर्ट में आर्थिक सुधारों को लेकर मजदूर वर्ग तथा समाज के अन्य तमाम तबकों के जो भयानक अनुभव हैं, उनको विस्तार से रखा गया था। संयुक्त संघर्षों को और तेज करने संबंधी उपरोक्त प्रस्ताव ए के पदमनाभन ने पेश किया था।

जनरल काउंसिल की बैठक शुरू होने से पहले 5 जनवरी को ही आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु, सी आइ टी यू अध्यक्ष ई बालानंदन और महासचिव एम के पंधे के भाषणों से संयुक्त मोर्चा सरकार के खिलाफ हमले के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी (देखें लोकलहर 12 जनवरी 1997)। अपने भाषणों में इन नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार को समर्थन पक्का है, लेकिन आर्थिक सुधारों को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता जिनके चलते जनता का जीना मुहाल हो गया है।

ई बालानंदन द्वारा सीटू का झंडा फहराये जाने और शहीद वेदी पर



सी आइ टी यू जनरल काँसिल को संबोधित करते का. ज्योति बसु

पुण्याजित अर्पित किए जाने के साथ 6 जनवरी को बैठक शुरू हुई। एन प्रसाद राव ने जनरल काउंसिल सदस्यों का स्वागत किया। शोक प्रस्तावों के बाद ई बालानंदन ने अध्यक्षीय भाषण दिया।

अध्यक्षीय भाषण

अपने भाषण में बालानंदन ने विश्व पूंजीवाद के रहनुमाओं के इस दावे को ठुकरा दिया कि वे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के जरिये संकटमुक्त नयी विश्व व्यवस्था की निर्माण कर रहे हैं। ठोस आंकड़े देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे आर्थिक सुधारों ने तीसरी दुनिया के देशों की राष्ट्रीय संप्रभुताओं के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उनकी अर्थ व्यवस्थाओं को वैश्विक अर्थ व्यवस्था का हिस्सा बना रहा है। इस प्रक्रिया के चलते लाखों की तादाद में रोजगार नष्ट हुए हैं, बेरोजगारी तथा गरीबी बढ़ी है और दुनिया के विकसित और पिछड़े देशों के बीच असमानता बढ़ी है। भारतीय संदर्भ में उन्होंने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरण देकर बताया कि कैसे सुधारों ने वहां बदहाली फैलाई है। उन्होंने संघर्षों को तेज करने का आह्वान किया।

महासचिव की रिपोर्ट

अध्यक्षीय भाषण के बाद एम के पंधे ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट उद्धृत करते हुए बताया कि कैसे वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के परिणाम दुनिया भर में रोजगारहीन वृद्धि, निर्मम वृद्धि, जड़विहीन वृद्धि और भविष्य हीन वृद्धि के रूप में सामने आये हैं। अपनी रिपोर्ट में पूर्ण समाजवादी देशों को जिज्ञा करते हुए बताया है कि जब से उन्होंने विकास का पूंजीवादी रास्ता इख्तियार किया है उनकी मुसीबतें बढ़ गयी हैं। सकल घरेलू उत्पादन घट गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है और मजदूरों के वास्तविक वेतनों में गिरावट आयी है। रिपोर्ट में विश्व व्यापार संगठन के सिंगापुर में हुए पहले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की घोषणा की जिंदा की गयी जो भारत तथा तीसरी दुनिया के अन्य देशों के हितों के खिलाफ जायेगी। रिपोर्ट में सुधारों के खिलाफ दुनिया भर में चल रहे मजदूर वर्ग के संघर्षों का भी ज्योर दिया गया था।

रिपोर्ट में संयुक्त मोर्चा सरकार की इस बात के लिए कड़ी जिंदा की गयी थी कि ढांचागत समायोजन के इसी कार्यक्रम पर चल रही है जिसे साम्राज्यवादी ताकतों के इशारे पर नरसिंह राव सरकार ने शुरू किया था। इसके चलते महंगाई बढ़ी है, सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किया गया है, उद्योगों में बीमारी तथा बंदी बढ़ी है और मजदूरों की रोजी छिनी है जिसके चलते बेरोजगारी की समस्या भयानक हो गयी है और इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार बढ़ा है।

रिपोर्ट में प्रतिगामी पेंशन योजना पर भी विस्तार से विचार किया गया था और इसके खिलाफ आंदोलनों को और तेज करने का आह्वान किया गया था। रिपोर्ट में एफ सी आइ, सीमेंट, एन टी सी, टैक्सटाइल्स, बीडी आदि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों में हुए आंदोलनों के बारे में बताया गया था रिपोर्ट में कामगार महिलाओं की स्थिति की भी

चर्चा की गयी थी और इस क्षेत्र में काम को और ज्यादा सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया था। रिपोर्ट में सरकार को इसके लिए भी आलोचना की गयी थी कि वह न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के वादे के अनुसार यूनियनों को मान्यता देने के लिए पुन मतदान का कानून नहीं बनाया गया है और न ही प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी से संबंधित कानून बनाया गया है। खेतमजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनाने, बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने और बी आइ एफ आर में सुधार करने जैसे वादे भी लागू नहीं किए गये हैं। रिपोर्ट में सी आइ टी यू के बढ़ते अंतराष्ट्रीय संबंधों की भी जानकारी दी गयी थी।

संगठन संबंधी काम को लागू किए जाने का रिपोर्ट में आत्मालोचनात्मक किया गया था और केंद्र से लेकर यूनियन स्तर तक इन्हें तेजी से लागू करने का आह्वान किया गया था। आगामी 6 से 10 अप्रैल तक एर्नाकुलम में होने जा रहे सी आइ टी यू के नौवें सम्मेलन के लिए संक्षिप्त दिशा निर्देशनों को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया था। रिपोर्ट में नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ आंदोलन को आगे बढ़ाने का स्पष्ट आह्वान किया गया था।

रिपोर्ट पर बहस

रिपोर्ट पर हुई बहस में 35 साथियों ने भाग लिया। बहस मुख्यतः आर्थिक सुधारों पर केंद्रित रही। निजीकरण इन सुधारों की बहुत ही नाटकीय अभिव्यक्ति है और वही साझा आक्रोश का निशाना बना। लगभग सभी वक्ताओं ने लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के विनिवेशीकरण के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार किया जो कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भी खिलाफ है, जिससे स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अंतराष्ट्रीय मानदंडों को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को इन इकाइयों को और मजबूत किया जाना चाहिये। बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रों को बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए खोले जाने के खिलाफ भी और टेलीकॉम तथा ऊर्जा क्षेत्रों आदि का निजीकरण किए जाने के खिलाफ भी वे एकमत थे। इस तरह उन्होंने एक स्वर से सीका (एस आइ सी ए) में संशोधन और बी आइ एफ आर को बीमार इकाइयों के पुनर्जीवित के लिए सुधारने की भी मांग की। अभी तक बी आइ एफ आर बीमार इकाइयों की कलगाह के रूप में ही कुख्यात है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की 2 अप्रैल को होने जा रही हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाने के अपने दृढ़ निश्चय का इजहार किया।

सदस्यों ने असंगठित क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया और जरूरत लायक वेतन के मुद्दे पर मजदूरों को शिक्षित करने के लिए एक अखिल भारतीय आंदोलन विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। महंगाई को रोकने में असफल रहने के लिए और बेरोजगारी को बढ़ने से रोकने में असफल रहने के लिए भी सरकार की आलोचना की गयी। गरीब किसानों और खेतमजदूरों को बिगड़ती हालत पर भी वक्ताओं ने चिंता का इजहार किया और उनके समर्थन में सी आइ टी यू द्वारा कार्रवाई किए जाने का आह्वान किया।

पेंशन के मुद्दे पर इस योजना को खत्म किए जाने की मांग जोर-शोर

से उठायी गयी और इसके लिए आंदोलन तेज करने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने आत्मालोचनात्मक ढंग से कामगार महिलाओं के अपने काम की जानकारी दी और उनकी बेहतरी के लिए काम करने का आश्वासन दिया और वादा किया कि उन्हें लागू करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम किया जायेगा तथा उनकी विशिष्ट भागों के लिए लड़ाई लड़ी जायेगी। उन्होंने रिपोर्ट को समृद्ध बनाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए और संयुक्त मोर्चा सरकार को सुधार लागू करने का अपना रास्ता छोड़ने के लिए मजबूर करने की खातिर आंदोलनों को और तेज करने की अपनी तैयारियों को इजहार किया।

महासचिव द्वारा बहस का जवाब दिए जाने के बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली गयी।

बैठक ने सी आइ टी यू कोषाध्यक्ष सरोज चौधरी द्वारा पेश किए गए आय-व्यय के ब्यौरे को भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन

असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर एक और रिपोर्ट पी के गांगुली ने पेश की। इस रिपोर्ट पर हुई बहस में 16 साथियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार जरूरत पर आधारित वेतन दिए जाने की बात को प्रचारित करने की जरूरत पर जोर दिया। बैठक ने निर्णय लिया कि सी आइ टी यू के आगामी सम्मेलन में इस मुद्दे पर और विचार किया जायेगा। इस मुद्दे पर विचार के लिए सम्मेलन में एक अलग आयोग का गठन किया जायेगा, जिसमें इस मामले में अंतिम निर्णय लिया जायेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की राशि कितनी मानी जाय।

बी टी रणदिवे मेमोरियल फंड

बैठक में बी टी रणदिवे मेमोरियल फंड पर भी विचार किया गया। अनेक रायों की तरफ से वहां मौके पर ही अंशदान की घोषणा की गयी।



यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्य, सम्मेलन से पहले अपना कोटा पूरा कर लें। अनेक राज्यों की ओर से आंध्रप्रदेश तुफान राहत फंड से भी अंशदान दिया गया।

बिरादराना बधाइयाँ

बैठक को आल इंडिया इन्फॉर्मेशन एंप्लाईज एसोसियेशन की ओर से आर गोविंद नारायण और बेप्री की ओर से प्रदीप सारंगी ने बिरादराना प्रतिनिधियों के रूप में बधाई दी और नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ सभी तरह की आंदोलनात्मक कार्रवाइयों के लिए सक्रिय समर्थन का इजहार किया।

एशिया-हिंद महासागरीय सम्मेलन

एम के पंथे तथा बिहब्रत मजुनदार ने आगामी फरवरी में 17 से 22 तारीख तक कलकत्ता में होने जा रहे एशिया-हिंद महासागरीय सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। बैठक ने सी आइ टी यू के तथा अन्य अनेक राष्ट्रीय फेडरेशनों के प्रतिनिधिमंडलों के बारे में निर्णय लिया।

सी आइ टी यू सम्मेलन

बैठक ने 6 से 10 अप्रैल तक एर्नाकुलम में होने जा रहे सी आइ टी यू के नवें अखिल भारतीय सम्मेलन पर भी विचार किया और सम्मेलन के लिए अनेक दिशा-निर्देशनों पर फैसला लिया। इस सम्मेलन में 2500 प्रतिनिधि भाग लेंगे और प्रतिनिधिवत् 1995 की सदस्यता पर आधारित होगी। संबद्धता फीस अदा करने और गैर वार्षिक रिपोर्टों के लिए कट आउट 31 जनवरी 1997 तक की जाती है।

रंजीत बसु ने क्रेडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट पेश की।

संघर्ष का कार्यक्रम

बैठक ने अपना मुख्य प्रस्ताव पारित कर गत 16 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन में जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा संघर्ष का जो कार्यक्रम तय किया गया था, उसे अपनी मंजूरी दी और पेंशन योजना के खिलाफ संघर्ष की अपनी योजनाओं को भी उसमें जोड़ा। पश्चिम बंगाल को सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की तरफ बीमार और बंद इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा खोलने की मांग करते हुए सी आइ टी यू की प. बंगाल राज्य इकाई ने मार्च महीने में एक दिन की हड़ताल आयोजित करने का जो निर्णय लिया है उसके समर्थन में एकजुटता कार्रवाइयाँ करने का निर्णय भी बैठक ने लिया।

प्रस्ताव में संघर्ष के निम्नलिखित कार्यक्रमों का आह्वान किया गया है।

(अ) जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम

1. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सभी कन्वेंशंस 15 फरवरी तक आयोजित कर ली जाएंगी।

2. 25 फरवरी को पूरे देश में केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने सत्याग्रह किया जायेगा।

3. 28 मार्च को सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक देश भर में रेल रोको/रास्ता रोको का आयोजन किया जायेगा।

4. संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान संसद मार्च का आयोजन किया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की कमेटी के कार्यक्रम

1. 27-28 जनवरी को बंगलौर में वेतन समझौते पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

2. राज्य/जिला/क्षेत्र/उद्योग स्तर की कन्वेंशन आयोजित की जाएंगी।

3. 12-13 फरवरी को नयी दिल्ली में बीमा उद्योगों पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया जायेगा।

4. 14 फरवरी को उद्योगों की बीमारी की खिलाफ और उन्हें पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर नयी दिल्ली में दिन भर का धरना आयोजित किया जायेगा।

5. 10 मार्च को प्रदर्शनों तथा रैलियों आदि के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम इकाइयों में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया जायेगा।

6. 2 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम इकाइयों में हड़ताल आयोजित की जाएगी।

(स) पेंशन योजना संबंधी कार्यक्रम

1. मध्य फरवरी तक अधिक से अधिक हस्ताक्षर एकत्रित करना सुनिश्चित करने के लिए जन हस्ताक्षर अभियान तेज किया जायेगा।

2. संसद के बजट सत्र के दौरान नयी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन के आयोजन के साथ लोकसभा अध्यक्ष को यह जन जापान दिया जायेगा।

बैठक में जो अन्य प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे इस प्रकार हैं: बीमा उद्योग के निजीकरण के खिलाफ, आइस्को (आइ आइ एम सी ओ) के आधुनिकीकरण के पक्ष में, बिजाग इस्थत संयंत्र को पूरा किये जाने और उसमें नयी जान डालने के पक्ष में। आंगनवाड़ी मजदूरों की 31 जनवरी को होने जा रही अखिल भारतीय हड़ताल के समर्थन में 3 मार्च को होने जा रहे बीडी मजदूरों के संसद मार्च के समर्थन में, पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट फौरन पेश करने की मांग करते हुए और हरियाणा के नगर पालिका आयोग की रिपोर्ट फौरन पेश करने की मांग करते हुए और हरियाणा के नगर पालिका कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में।

सी आइ टी यू अध्यक्ष के इस स्पष्ट आह्वान के साथ बैठक संपन्न हुई कि मजदूरों के तमाम तबकों को लामबंद करने के लिए चोतरपत्र प्रयास किए जायें और ट्रेड यूनियन तथा अन्य जनसंगठन मुख्य प्रस्ताव में दिए गए संघर्ष के तमाम कार्यक्रमों को पूर्ण सफलता के लिए जुट जायें।

कामगार महिला समन्वय समिति की बैठक

इससे पहले 4 जनवरी को गंगाम्मा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति की बैठक हुई। त्रिपुरा, प. बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कमेटी सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया सी आइ टी यू जनरल कार्डिनल की महिला सदस्यों ने विशेष आमंत्रितों के रूप में बैठक में भाग लिया। समन्वय समिति की सचिव विमल रणदिवे ने बैठक में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में यह नोट किया गया था कि बीडी, सिले-सिल्लये बस्स, फरेल इकाइयों और निर्यात जोन जैसे असंगठित क्षेत्रों में कामगार महिलाओं के बीच काम में सुधार हुआ है। केरल तथा मध्य प्रदेश के आंगनवाड़ी मजदूरों के सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केरल में आंगनवाड़ी मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाये।

रिपोर्ट पर हुई बहस में हैमलता, मार्गा मुखर्जी, बरलक्ष्मी, प्रसन्न कुमारी, नजीमुनिसा, राजेश्वरी, इंदु दास आदि ने भाग लिया।

बैठक में राष्ट्रीय मंच के संघर्ष के कार्यक्रम को देश भर में कामगार महिलाओं के बीच समन्वय समिति द्वारा अभियान शुरू किए जाने के जरिये लागू किया जायेगा। बैठक में कामगार महिलाओं को मांगपत्र भी सूत्रबद्ध किया गया। जिसे संघर्ष के जरिये आगे बढ़ाया जायेगा।

सी आइ टी यू जनरल कौंसिल बैठक: 5-8 जनवरी विशाखापटनम

□ ई. बालानंदन

अध्यक्षीय भाषण

साथियो,

हम 31 मई से 2 जून 1995 तक हावड़ा में अपनी जनरल कौंसिल (महा परिषद) बैठक में एकत्रित हुए थे। तत्पश्चात् हमने अपनी कार्य समिति की दो बैठकों का आयोजन किया—एक बैठक 2 से 4 नवम्बर, 1995 तक भिलाई में तथा दूसरी 6 से 9 जून 1996 तक नयी दिल्ली में हुई थी। इन बैठकों में हमने पिछले कार्यों की समीक्षा की थी और उनके पश्चात् तत्काल किये जाने वाले कार्यों के समन्वय में निर्णय लिया था। अब जनरल कौंसिल (अर्थात् महा परिषद) की इस बैठक में हमें अपने भावी कार्यों का निर्धारण करने के साथ-साथ अपने पिछले कार्यों की समीक्षा भी करनी होगी। क्योंकि हम अपना नौवां महाधिवेशन अप्रैल, 1997 में किसी समय केरल में आयोजित कर रहे हैं, इसलिये हमें इस सम्मेलन के कार्यक्रम पर विचार करके उसे अंतिम रूप भी देना होगा। महासचिव की रिपोर्ट में इस अवधि में किये गये कार्यों की समीक्षा करने के साथ-साथ विश्व आर्थिकता, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा भावी कार्यों पर विस्तार विचार किया गया है। अतः मैं कुछ विशेष मुद्दों पर संक्षेप में ही चर्चा करूंगा।

हम सब जानते हैं कि हमने पहले जनरल कौंसिल (महा परिषद) की इस बैठक का आयोजन 17-20 नवम्बर, 1996 को यहाँ करने की योजना बनाई थी, हमारे साथियों ने उसके लिये सभी प्रबन्ध पूर्ण कर लिये थे। किन्तु हमें भीषण एवं अभूतपूर्व राष्ट्रीय आपदा के कारण इन तिथियों में परिवर्तन लाना पड़ा। नवम्बर के प्रथम सप्ताह गोदावरी के सभी तटवर्ती क्षेत्र इस आपदा की चपेट में आ गए थे। समुद्री तूफान ने अत्यंत निर्दयता से इन क्षेत्रों पर धावा बोल दिया था और उसके दुष्परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में इतनी भयानक क्षति हुई जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अनुमान है कि एक हजार से अधिक लोगों की इस विनाशालीला में अपने प्राण गंवाने पड़े और एक हजार करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति की क्षति झेलनी पड़ी। स्वयं मैंने कुछ संसद सदस्यों, पार्टी नेताओं तथा सी आइ टी यू के नेताओं के साथ इन क्षेत्रों की यात्रा की है। हमने अपनी आंखों से धान के खेतों, नारियल के बागों, और उनके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दरिद्रजनों विशेष रूप से मछुआरों के आंगन में हुई विनाशालीला के भयावह दृश्य देखे हैं। विद्युत आपूर्ति की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा दूरसंचार नेटवर्क छिन्न भिन्न तथा क्षतिग्रस्त हो गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने तथा स्थितियों को सामान्य

बनाने के लिये तेजी के साथ कार्रवाई की तथा प्रत्येक सम्भव कदम उठाया। दिल्ली जाने से पूर्व हमने हैदराबाद में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की थी। उन्होंने उस समय हमें बताया था कि राहत कार्यों में सबसे बड़ी बाधा आर्थिक तंगी है। वह चाहते थे कि केंद्र सरकार राज्य को कुछ और धन दे; हमें उनकी यह बात उचित लगी। दिल्ली जाने के पश्चात् हमने केंद्र से राज्य को अधिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि वह (आंध्र प्रदेश) राष्ट्रीय आपदा के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति से निपट सके। सी आइ टी यू ने तत्काल अपने साथ सम्बद्ध यूनियनों से आंध्र प्रदेश राहत कोष के लिये धन संग्रह करने का अनुरोध किया। हमारे साथियों ने इसे गम्भीरता के साथ लिया है। इसके साथ ही हमने अपने केन्द्रीय कोष में से 25,000 रुपये का योगदान दिया है।

साथियो, आईये हम गोदावरी जिलों की जनता के साथ अपनी सहानुभूति व्यक्त करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि हम सामान्य स्थिति लाने के लिये अपना पूर्ण सहयोग उन्हें देते रहेंगे।

अगली बात शुरू करने से पूर्व हम श्रमिक आंदोलन के एक विशिष्ट नेता तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य कामरेड सुनील मैत्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। उनका देहांत 18 सितम्बर, 1996 को दिल का जबरदस्त दौरा पड़ने के कारण हुआ, था। उन्होंने देश के बीमा कर्मचारियों को संगठित करने में आधारभूत भूमिका निभाई थी जो वर्तमान में बीमा कर्मचारियों की सर्वाधिक शक्तिशाली यूनियनों में से एक (ए आइ आई ई ए) है। कामरेड मैत्र 80वें दशक में लोक सभा के सदस्य चुने गए थे। उन्होंने लोक सभा में श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण की समस्याओं को उठाने में प्रभावी भूमिका निभाई थी।

वह जिस दक्षता के साथ बहस में हस्तक्षेप करते थे और विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे, उसे आज भी वे लोग भूल नहीं सके हैं जिन्होंने लोक सभा में उनके साथ काम किया था। वह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य बने और उसके पश्चात् पोलित ब्यूरो के लिये चुने गए। वह पार्टी के मुख पत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी के प्रभारी तथा सम्पादक थे। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग तथा देश की जनता की शानदार सेवा की है। हम उनका स्मरण करते हुए उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कामरेड नीलिमा तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

आदिवासी जनता तथा किसानों की लोक ख्यात नेत्री कामरेड गोदावरी पार्लेकर का देहांत हो जाना एक और गम्भीर क्षति है। उनका देहांत 9 अक्टूबर, 1996 को ठाणे (महाराष्ट्र) में हुआ। वह 89 वर्ष की थीं। वह छोटी आयु में ही देश के स्वतंत्रता आंदोलन में पड़ीं थीं और सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गईं। उन्होंने सामंतों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध अनेक संघर्षों का नेतृत्व किया था। इसके फलस्वरूप वह महाराष्ट्र की किसान जनता में लोकख्यात व्यक्ति बन गईं थीं। वह कम्युनिस्ट आंदोलन में सम्मिलित हुईं और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय समिति के लिये चुनी गईं। कामरेड गोदावरी पार्लेकर का जीवन देश के सभी क्रांतिकारियों के लिये एक आदर्श था। हम उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हैं तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं सहयोगियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।

इस अवधि में देश के विभिन्न भागों में हमारे अनेक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हमें विच्छेद दे गए हैं, उन सबकी याद में हम अपना लाल ध्वज झुकाते हैं।

हम कामरेड आम्ना दास की हत्या पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं। उनकी हत्या 29 अक्टूबर, 1996 को की गई थी वह उड़ीसा से हमारे जनरल कौंसल (महा परिषद) सदस्य थे। हम उनके शोक संतप्त परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं।

प्रिय साथियो,

आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले सत्रों में विश्व अर्थव्यवस्था में घटित घटनाओं पर विचार किया था। हमने विश्व पूंजीवाद के कर्णधारों विशेष रूप से अमरीका के इस लम्बे-चौड़े दावे की कड़ी आलोचना की थी और उसकी पोल खोली थी, जिसके अन्तर्गत वे कहते थे कि "वे एक संकटमुक्त पूंजीवादी व्यवस्था, एक नयी विश्वव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं; क्योंकि समाजवाद का अब कोई भविष्य नहीं है और वह पहले ही समाप्त हो चुका है, इसलिये प्रौद्योगिकीय प्रगति का उपयोग करने वाली केवल यह एक स्थायी व्यवस्था (पूंजीवादी) हो सकती है।" किन्तु अब बर्जुआ पण्डितों ने अपने अध्ययनों तथा रिपोर्टों का प्रकाशन किया है, ये वही पण्डित हैं जो उक्त सिद्धांत के प्रचारक थे; उन्होंने अपने वक्तव्यों में विश्व अर्थ व्यवस्था के संकट पर प्रकाश डाला है। यद्यपि व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में कुछ सीमा तक प्रगति हुई है किन्तु समग्र आर्थिक विकास की स्थिति शोचनीय बनी हुई है। लाखों-लाख रोजगारों की हत्या; बेरोजगारी तथा अर्ध रोजगारी का बढ़ता खतरा; बढ़ रही दरिद्रता; अमीर तथा गरीब, विश्व के विकसित तथा पिछड़े राष्ट्रों इत्यादि में असमानता की चौड़ी होती चली जा रही खाई इस तथाकथित विकास के सक्षण हैं।

यहां मैं इसके विवरण में जाना नहीं चाहता, किन्तु मैं केवल दो या तीन रिपोर्टों में दिये गए विवरण तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा। मैं विश्व रोजगार 1996-97 पर आई एल ओ की रिपोर्ट से अपनी बात शुरू करता हूं। प्रेस में प्रकाशित उसका सार हमें उपलब्ध हुआ है। उसका शीर्षक है; "विश्व रोजगार संकट जारी, विश्व व्यापी असमानता बढ़ रही है।"

विश्वभर की जनता, औद्योगिक तथा विकसित देशों में विश्व की सम्पूर्ण श्रम शक्ति का अनुमानतः 30 प्रतिशत बेरोजगार है और उसका कहना है कि विश्व की रोजगार स्थिति "शोचनीय" है। बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के चलते सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। रिपोर्ट में बेरोजगारी के आंकड़े भी दिये गए हैं। ओ आई सी डी देशों में बेरोजगार लोगों की संख्या 3.40 करोड़ है। यूरोपीय संघ में पिछले वर्ष 11.3 प्रतिशत के अनुपात से बेरोजगारी बढ़ी। फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा स्वीडन में बेरोजगारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

विश्व के अनेक देशों में बेरोजगारी के ये आंकड़े देने के पश्चात् आई एल ओ ने तर्क दिया है कि बढ़ रही बेरोजगारी तथा अर्ध रोजगारी की स्थिति को बदलने और पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाए जाने चाहियें। उसके अनुसार यह स्थिति विश्व के अनेक भागों में व्याप्त है। "बेरोजगारी के वर्तमान स्तर का आर्थिक औचित्य नहीं है और न ही राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से यह स्थिति बनी रह सकती है।"

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि पुनर्गठन इत्यादि के सहित व्यापार एवं वाणिज्य के भूमण्डलीयकरण की नयी स्थिति में भी अर्थ व्यवस्था विकास कर सकती है और रोजगार का पुनः सर्जन हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि तथापि वर्तमान में लोगों द्वारा रोजगार क्षति तथा दरिद्रता में वृद्धि होने के सम्यन्ध में व्यक्त की जा रही चिन्ता को समझा जा सकता है। "इसके चलते विश्व स्तर पर रोजगार की स्थितियां खराब हो रही हैं, ले आफ जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं और" विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्रों एवं समुदायों में रोजगार क्षति केन्द्रित है।"

रिपोर्ट के अंतिम निष्कर्ष में सुझाया गया है और मैं पहले भी उसका उल्लेख कर चुका हूं कि, "सब लोगों के मन मस्तिष्क में पूर्ण रोजगार व्यवहार उत्पन्न होना चाहिये।" किन्तु पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत यह हो ही नहीं सकता क्योंकि यह व्यवस्था संकटग्रस्त है और कोई भी इसके संकट को दूर नहीं कर सकता। हमारे कटु अनुभवों ने संकट मुक्त पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण करने के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है।

आईये, हम यू एन डी पी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, 1996 का अवलोकन भी करें। रिपोर्ट में बल दिया गया है कि आर्थिक विकास से मानवीय विकास में सहायता मिलनी चाहिये। इसी के आधार पर उन्होंने पिछले 15 वर्षों के विकास का अनुशीलन किया है और अनेक तथ्यों पर प्रकाश डाला है। उनमें से कुछेक तथ्यों पर हम यहां विचार करेंगे:-

बढ़ती असमानताएं:

1. "वर्ष 1993 में विश्व भर के सकल घरेलू उत्पाद 230 खरब डालर में 180 खरब डालर औद्योगिक देशों की झोली में चला गया और केवल 50 खरब डालर विकासशील देशों के पस्ते पड़े जबकि विश्व की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है।"

"पिछले 30 वर्षों में विश्व के दरिद्रतम 20 प्रतिशत लोगों का विश्व

की आय में भाग 2.3 प्रतिशत से कम होकर 1.4 प्रतिशत रह गया है। इसी मध्य समूहगत 20 प्रतिशत लोगों का भाग 7.0 प्रतिशत से बढ़ कर 8.5 प्रतिशत हो गया। इसके चलते समूहगत तथा लोगों के भागों की दर दरिद्रतामय लोगों के भाग की अपेक्षा बढ़ कर दोगुणा हो गई है अर्थात् 30:1 से बढ़ कर 61:1।"

"विश्व के 358 अरब पतियों की परिसम्पत्तियों का मूल्य अनेक देशों की मिली जुली वार्षिक आयों से भी अधिक हो गया है; इन देशों में विश्व की 45 प्रतिशत जनता निवास करती है।"

"छिछले तीन दशकों में उन लोगों का अनुपात जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में कम से कम 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है, 12 प्रतिशत से बढ़ कर 27 प्रतिशत हो गया है जबकि उन लोगों जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय में वृद्धि नकारात्मक है, संख्या तीन गुणा से भी अधिक हो गई है अर्थात् 5 प्रतिशत से बढ़ कर 18 प्रतिशत।"

"औद्योगिक एवं विकासशील देशों के मध्य प्रति व्यक्ति आय में अन्तर 1960 के 5,700 डालर से बढ़कर 1993 में 15,400 हो गया है अर्थात् इस अन्तर की खाई तीन गुणा अधिक चौड़ी हो गई है।"

2. रोजगार विहीन विकास: "जहां समग्र रूप में आर्थिकता विकास कर रही है, वहीं उसके फलस्वरूप रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते वर्ष 1993 में ओ ई सी डी (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) देशों में बेरोजगारी दर का अनुपात 8 प्रतिशत था—जहां यह अनुपात जापान में 2.5 प्रतिशत था वहीं युनाइटेड किंगडम में 10 प्रतिशत, फिनलैंड में 18 प्रतिशत, स्पेन में 23 प्रतिशत था। विकासशील देशों में भी रोजगार विहीन विकास का अर्थ लाखों—लाख लोगों के लिये कम उत्पादकता वाले कार्य में, कृषि में तथा अनौपचारिक क्षेत्र में काम के लम्बे घण्टे तथा अत्यंत अल्प आय का होना ही है।"

हृदयहीन विकास: "जहां आर्थिक प्रगति का फल अधिकांशतया समृद्ध वर्ग को ही चखने को मिलता है वहीं लाखों—लाख लोग जीवित रहने के लिये संघर्ष करने पर विवश हैं और वे दिन—प्रतिदिन दरिद्रता की गर्व में और गहरे धंसते चले जा रहे हैं: वर्ष 1970-85 के मध्य जो एन पी में 40 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, इस पर भी गरीबों की संख्या में 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जहां 20 करोड़ लोगों ने 1965-80 के मध्य अपनी प्रति व्यक्ति आय की गिरावट को देखा था वहीं एक करोड़ से अधिक लोगों ने 1980-93 के मध्य इसी गिरावट को देखा है।"

स्वर विहीन विकास: "जहां आर्थिक विकास के साथ-साथ लोकतंत्र तथा रोजगार नहीं बढ़ता: राजनीतिक दमन तथा अधिनायकवाद ने वैकल्पिक स्वरों को शांत कर दिया है और अधिकाधिक सामाजिक एवं आर्थिक सहभागिता की मांगों को बदल कर रख दिया है।"

"नीति निर्धारकों ने एक बार इस प्रश्न पर बहस की थी कि वे आर्थिक विकास अथवा सघन सहभागिता में से किसे चुनें, इस पर उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों ही समान रूप से विशिष्ट हैं। वह बहस समाप्त हो गई। लोग उनमें से किसी एक या दूसरे को नहीं चाहते—वे एक साथ दोनों चाहते हैं (अर्थात् आर्थिक विकास तथा सघन सहभागिता)। किन्तु

अनेकानेक लोगों को लोकतंत्र के अत्यंत आधारभूत स्वरूप से वंचित रखा जा रहा है और विश्व के अनेक देशों की जनता दमनकारी सत्ता के क्रूर पंजों में जकड़ी हुई है।"

"स्वर विहीन विकास एक ऐसा विकास भी हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था के प्रबंधन तथा उसे नयी दिशा देने के लिए में महिलाओं के लिये बहुत कम भूमिका प्रदान करता है। जैसा कि मानव विकास रिपोर्ट 1995 दर्शाती है, मानव विकास यदि लैंगिक दृष्टि से पक्षपातपूर्ण नहीं हुआ तो वह संकटायन अवस्था हो चुका है।"

जड़हीन विकास: "जो लोगों की सांस्कृतिक पहचान को संकट में डाल देता है। समझा जाता है कि विश्व भर में लगभग 10,000 विशिष्ट संस्कृतियाँ हैं। उनमें से अनेक हाशिये पर धकेले जाने तथा समाप्त हो जाने के खतरे को झेल रही हैं।"

भविष्यहीन विकास: "जहां वर्तमान पीढ़ी संस्थानों की लूट मचा रही है जबकि ये संसाधनभावी पीढ़ी के लिये आवश्यक हैं: वहीं अनेक देशों में भारी एवं अनियंत्रित विकास जंगलों में कचरा डाल रहा है, नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, जैव विविधता को बर्बाद कर रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का काम तमाम कर रहा है।"

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि विश्व में असमानता बढ़ रही है और उसके साथ ही दरिद्रता एवं दरिद्रीकरण और बेरोजगारी में भी वृद्धि होती चली जा रही है। यहां एक बार हम पुनः अनुभव करते हैं कि "संकट मुक्त" पूंजीवाद बस दिवास्वप्न मात्र ही है।

विश्व विकास रिपोर्ट, 1996

विश्व विकास रिपोर्ट, 1996 में पूर्व समाजवादी देशों की स्थिति का विशेष रूप से अनुशीलन किया गया है। स्वाभाविक ही है कि विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में इन देशों की शोचनीय स्थिति को पूंजीवाद में तथाकथित "संक्रमण" कह कर न्यायोचित करार देने का प्रयास किया गया हो। तथापि इसने इन देशों की जनता के जीवन के सम्बन्ध में कुछ विशेष तथ्यों पर प्रकाश भी डाला है। यह दर्शाती है कि इन देशों की राष्ट्रीय आय में गिरावट आ रही है, बेरोजगारी उफान पर है तथा श्रमिकों के वास्तविक वेतन कम हो रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में असहनीय सीमा तक गिरावट आ रही है। गरीबी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में कमी के चलते लोगों के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ा है। रूस के मामले में न पुरुषों का आनुपातिक जीवन 6 वर्ष तथा महिलाओं का 3 वर्ष कम हुआ है। महिलाओं की समाजवाद के अन्तर्गत जो समान दर्जा प्राप्त था, वह आज कम है। रोजगार से निकाल बाहर करने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वही पीड़ित होती हैं।

अधोलिखित आंकड़ों से हमें पता चल जाएगा कि इन देशों की स्थिति किस सीमा तक खराब हो चुकी है।

वर्ष 1989 की तुलना में इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी डी पी:

पोलैंड	98 प्रतिशत
हंगरी	80 प्रतिशत

एस्टोनिया	67 प्रतिशत
लिथुआनिया	40 प्रतिशत
रूमानिया	73 प्रतिशत
मंगोलिया	75 प्रतिशत
रूस	60 प्रतिशत
मोलदाविया	40 प्रतिशत
कजाखिस्तान	40 प्रतिशत
यूक्रेन	40 प्रतिशत

बेरोजगारी की दर:

अल्बानिया- 18 प्रतिशत; बुल्गारिया- 14 प्रतिशत; क्रोशिया- 13 प्रतिशत; रूस- 12 प्रतिशत; लाटविया- 7 प्रतिशत

इनमें से अनेक देशों में श्रमिकों के वास्तविक वेतनों में गिरावट आई है। केवल हंगरी में ही वास्तविक वेतन स्थिर बने हुए हैं। पौलैंड में- 32 प्रतिशत; चैक गणराज्य- 19 प्रतिशत; रूस 30 प्रतिशत; यूक्रेन- 50 प्रतिशत; लाटविया - 50 प्रतिशत; एस्टोनिया- 55 प्रतिशत; बेलोरूस- 55 प्रतिशत; कजाखिस्तान- 65 प्रतिशत इत्यादि। शेष देशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए। उपरोक्त तथ्यों से प्रमाणित हो जाता है कि व्यवस्था परिवर्तन से जनता के जीवन में सुधार होगा; यह मात्र एक भ्रम ही था।

इस विषय को समाप्त करने से पूर्व मैं एक भिन्न परिदृश्य को प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह भिन्न परिदृश्य हमें चीन तथा वियतनाम में देखने को मिलता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन तथा वियतनाम ने भी समाजवाद का परित्याग कर दिया है और उन्होंने बाजार अर्थ व्यवस्था को अपना लिया है। चीन तथा वियतनाम दोनों ने इसका खण्डन कर दिया है। उन्होंने बल देकर कहा है कि वे अपनी-अपनी राष्ट्रीय स्थितियों के अनुरूप समाजवाद के पथ पर चलते रहेंगे। चीन की अर्थ व्यवस्था तोत्र गति से विकास कर रही है और उसकी विकास दर विश्व भर में सर्वाधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अर्थ व्यवस्था का आनुपातिक वार्षिक विकास दर इस प्रकार है:

वार्षिक आनुपातिक विकास

1971-80	5-5 प्रतिशत
1981-89	11.1 प्रतिशत
1990	3.9 प्रतिशत
1991	8 प्रतिशत
1992	13.6 प्रतिशत
1993	13.4 प्रतिशत
1994	13.8 प्रतिशत
1995	10.2 प्रतिशत

चीन की अर्थ व्यवस्था की विकास दर 10 प्रतिशत है, यह बात विश्व बैंक ने भी स्वीकार की है। यह विकास दर विश्व भर में सर्वाधिक है।

विश्व बैंक ने यह दावा करने का प्रयास किया है कि चीन द्वारा भीमो गति से अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन तथा निजीकरण की नीतियां अपनाने के कारण ही ऐसा सम्भव हो सका है। यह दावा अतार्किक है। अतः इस तर्क को काटा नहीं जा सकता। तथ्य तो यह है कि नये विकास के सुनियोजित मार्ग को छोड़ा नहीं है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, उन्होंने इसका निजीकरण नहीं किया किन्तु विभिन्न प्रकार के वर्तमान कानूनों में सुधार लाकर उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिये कदम उठाए हैं और इन सार्वजनिक उपक्रमों पर प्रभावी ढंग से लाभ पर चलाए जाने योग्य बताया गया है। उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण में भी ढिलाई नहीं आने दी जबकि बाजार शक्तियों को काम करने के लिये कुछ क्षेत्रों में छूट दी है। चीन सरकार ने समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था शुरू करने का दावा किया है। तथापि रेखांकित किया जाना होगा कि चीन का परिदृश्य तेज विकास के लिये एक नयी उदाहरण प्रस्तुत करता है।

वियतनाम के मामले में भी विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार जी डी पी आनुपातिक वार्षिक विकास 7.1 है। वियतनाम के मामले में उद्योगों का निजीकरण नहीं किया गया। उसके बिना ही उसके औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार वियतनाम में भूमि सम्बन्धों के मामले में परिवर्तन हुए हैं। तथापि वियतनाम सी ई ई देशों के विपरीत-अलग चित्र प्रस्तुत करता है।

प्रिय साधियो,

मैं देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल हमारी अर्थ व्यवस्था के कुछ आधारभूत क्षेत्रों पर निजीकरण तथा पुनर्गठन के प्रभावों की समीक्षा करना चाहता हूँ। वर्तमान में, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम तेल क्षेत्र में गम्भीर संकट से दो चार हो रहे हैं। नयी नीति के एक पत्र के रूप में भारत सरकार ओ एन जी सी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल कम्पनियों को अपनी उत्पादन गतिविधियां तेज करने ताकि हम तेल क्षेत्र में अपनी निर्भरता की स्थिति में सुधार ला सकें, के मामले में हतोत्साहित कर रही है। भारत सरकार ने 80 वें दशक से ही विश्व बैंक के दबाव में आकर पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके विवरण में न जाकर मैं केवल आपको इन क्षेत्रों की नवीनतम स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में कच्चे तेल के उत्पादन में 10 प्रतिशत तक कमी हुई। पिछले वर्ष इसी अवधि में इसका उत्पादन 14-82 मिलियन टन था। इस वर्ष यह कम होकर 13-82 मिलियन टन रह गया है। वर्ष 1995-96 में इसका उत्पादन 31-15 मिलियन टन तक पहुँच गया था। किन्तु वर्ष 1996-97 के लिये लगाए गए अनुमानों के अनुसार इसका उत्पादन 31.10 मिलियन टन होने की आशा है। पिछले चार वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांगों में वार्षिक आनुपातिक वृद्धि 5.4 प्रतिशत थी, किन्तु वर्ष 1995-96 में यह बढ़कर 10.8 प्रतिशत तक पहुँच गई और मांग बढ़ कर 75.4 मिलियन तक पहुँच गई। आत्मनिर्भरता की

दर निरंतर नीचे गिरती रही है। वर्ष 1991-92 में यह 50 प्रतिशत थी। वर्ष 1995-96 में यह और नीचे सरक कर 44 प्रतिशत रह गई जबकि वर्ष 1996-97 में यह केवल 39 प्रतिशत होगी। तेल मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2000-2002 तक इसके और नीचे सरक कर 32 प्रतिशत तक आ जाने की सम्भावना है। कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ ही आयात की लागत भी बढ़ रही है। इन सबके चलते कच्चे तेल के मूल्य उछल कर 22 डालर प्रति बैरल तक पहुँच गए हैं जो पहले 18 डालर प्रति बैरल होते थे। तेल आयात के कारण होने वाला घाटा 90 अरब 80 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1 अरब, 55 अरब रुपये हो गया है। इसमें तेल कम्पनी के कुप्रबंधन का कितना हाथ है, समयाभाव के कारण में इसके विस्तार में नहीं जाँकेंगा।

सरकार इस समय कठिन स्थिति में है। तेल के आयात का बिल आकाश को छूने लगा है और विदेशी मुद्रा के क्षण में गम्भीर समस्या खड़ी कर दी है। सरकार मूल्यों में वृद्धि करके तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। इसके कितने दुष्परिणाम निकल सकते हैं, यह सब कहने की आवश्यकता नहीं है। तथाकथित उदारीकरण के फलस्वरूप ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

विदेशी तेल कम्पनियों सार्वजनिक क्षेत्र में तेल की स्थिति में सुधार लाने के लिये हमारी सहायता करने की इच्छुक नहीं हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने उन क्षेत्रों में तेल की उपलब्धता का पता लगाने के काम को तिलांजलि दे दी है, जिन क्षेत्रों में उन्हें यह काम करने के लिये कहा गया था। उनका कहना है कि वहाँ के तेल-क्षेत्र सूख चुके हैं और वहाँ से अब तेल मिलने की कोई सम्भावना ही नहीं है। तेल का पता लगाने की प्रक्रिया में उपलब्ध जानकारी तथा अत्यंत महत्वपूर्ण आँकड़े भी वे ओ एन जी सी को देने के लिये तैयार नहीं थीं इसके विपरीत ओ एन जी सी के हमारे वैज्ञानिकों ने उन्हीं क्षेत्रों में ड्रिलिंग का कार्य किया और वहाँ से तेल निकालने में सफलता प्राप्त की है। तेल शोध के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ऐसी शर्तें रख रही हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता: जैसे (1) 30 वर्षों तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, (2) 30 वर्षों तक कच्चे तेल के आयात तथा उसे साफ करने का काम केवल विदेशी तेल कम्पनियों ही करेंगी, (3) शोधित उत्पादों के वितरण का काम भी 30 वर्षों तक वही करेंगी। इन सभी शर्तों को रद्द करके हमने अपने सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित किया था, इसके चलते हमने कच्चे तेल के उत्पादन में 73 प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। इसके साथ ही तेल आयात के बिल में भी उल्लेखनीय सीमा तक हम कमी ला सके थे।

इस क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये अपने प्रयासों में और तेजी लाने की अपेक्षा सरकार ने विश्व बैंक के दबाव में आकर इस क्षेत्र को उन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ-साथ भारत की निजी कम्पनियों के लिये भी खोल दिया है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने अन्य क्षेत्रों की भाँति इस क्षेत्र के लिये भी पुनर्गठन समिति का गठन किया है। इसका अद्भुत पक्ष यह है कि इस समिति में विदेशी तथा

भारतीय कम्पनियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये गए हैं। 13 सदस्यों वाली इस समिति में रिलायंस ग्रुप के श्री मुकेश अम्बानी, ईसार कम्पनी के श्री समी देविया, शैल आयल कम्पनी के श्री विक्रम मेहता, हिन्दुस्तान डोमेस्टिक आयल एण्ड गैस कम्पनी के श्री अजीत कपाडिया भी लिये गए हैं। उनको रिपोर्ट के आधार पर ओ एन जी सी तथा आयल इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के रूप में कार्य करने पर विचार कर दिया जाएगा। हाइड्रो कार्बन सेक्टर के लिये भी एक उच्च शक्तियों प्रांत समिति का गठन किया जाएगा। तलछटी बंदरगाहों से सम्बन्धित सभी आँकड़े निजी कम्पनी को उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय मामलों में भी उन्होंने निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये शानदार सुझाव दिये हैं।

खोजे गए 25 से अधिक तेल/गैस क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र अथवा विशेष रूप से निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ठेके पर दे दिये गए हैं। ये सभी क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ओ एन जी सी को इस संयुक्त उद्यम में केवल कनिष्ठ सहयोगी की भूमिका दी गई है।

निजी क्षेत्र को दी गई छूटें तथा इन कम्पनियों की ओर से सरकार के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध ऐसे हैं कि उनके अन्तर्गत भारत तथा विदेशी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के समान ही अत्यंत बरीयता प्राप्त दर्जा दिया गया है। इन अनुबंधों का शानदार पक्ष यह है कि इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित तेल सरकार अन्तराष्ट्रीय मूल्य पर खरीदेगी।

निजी क्षेत्र को ये सब छूटें अथवा सुविधाएँ तो दे दी गई हैं किन्तु वर्ष 1995-96 में उत्पादित कुल कच्चे तेल 31-67 मिलियन टन में उनका योगदान केवल 0.63 प्रतिशत ही रहा था।

अतः वर्तमान संकट भारत सरकार द्वारा अपनाई गई भूमण्डलीयकरण की नयी नीति के कारण ही उत्पन्न हुआ है। अब भारत एक गहरे संकट में फँस चुका है। इसका दुष्परिणाम भारत की समग्र प्रगति पर पड़े बिना नहीं रहेगा और हम पूर्णतया विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दया पर निर्भर होकर रह जाएंगे। श्रमिक आंदोलन को यह मामला समुचित ढंग से उठाना और इस नीति को बदलने के लिये संघर्ष करना होगा।

ऊर्जा क्षेत्र

हमारी अर्थ व्यवस्था के एक अन्य क्षेत्र-ऊर्जा क्षेत्र में क्या हो रहा है, लगे हाथ इसकी जानकारी भी में आपको दे देना चाहूँगा। ज्यों ही श्री राव सत्तारीन हुए उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के लिये धन के निवेश में कमी करने और ऊर्जा के विकास हेतु निजी निवेश को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया। अल्प बजट (वित्तीय) सहायता के चलते 8वीं योजना में ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य 30,800 मैगावाट में से केवल 18,000 मैगावाट ऊर्जा (अथवा विद्युत) का उत्पादन किया जा सका। वर्तमान में, हम देश के विशालतर क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी की शेल रहे हैं। इन सब सत्ताधारियों में से एक अर्थात् नयी आर्थिक नीति के निर्माता श्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक बैठक में ऊर्जा के सम्बन्ध में लिये गए नीतिगत निर्णय को गलत करार दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र में ऊर्जा विकास के लिये

निवेश में कमी लाने का निर्णय अल्पतः घातक था। ऊर्जा विकास के मामले में निजी क्षेत्र पर निर्भरता से हमें कोई सफलता नहीं मिली। तथापि भारत सरकार अब भी राय सरकार की उसी नीति का अनुसरण कर रही है। देश में ऊर्जा विकास के पिछले 40 वर्षों में प्रति यूनिट ऊर्जा की लागत में कमी नहीं हुई। नीति में परिवर्तन होते ही इसे एक महत्वपूर्ण कसौटी के रूप में देखा जाने लगा। भारत सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के पुनर्गठन हेतु राज्यों को दिये गए नये निर्देशों में कहा गया है कि बिजली बोर्ड ऋणों के बोझ के तले दबे हुए हैं। विश्व बैंक बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने के लिये राज्यों को ऋण उपलब्ध करा रहा है। शर्त यह है कि बोर्ड केवल नियंत्रक निकाय ही होगा—ऊर्जा (अर्थात् विद्युत) उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण के लिये अलग-अलग निगमों का गठन किया जाएगा। और उसके पश्चात् सब्सिडी पर ऊर्जा आपूर्ति नहीं की जाएगी। उड़ीसा सरकार ने 35 करोड़ डॉलर का ऋण लिया है; वह बैंक की शर्तें मानने पर सहमत हो गई है—और उसने बैंक के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। कृषि क्षेत्र को सब्सिडी मूल्यों पर बिजली (ऊर्जा) की आपूर्ति बंद कर दी गई है। कृषि क्षेत्र में बिजली (ऊर्जा) के सर्वाधिक मूल्य की बसुली लागभ 3 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी; उद्योगों के लिये उसका मूल्य 5 रुपये तक ही सकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा भी इसी मार्ग पर चलने लगे हैं क्योंकि इसी के लिये ही विश्व बैंक का ऋण उन्हें मिला है। अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार ने ऐसे ही निर्देश जारी किये हैं।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों का संचित घाटा 29,000 करोड़ रुपये है। यह घाटा इसी लिये हुआ है क्योंकि राज्य सरकारें कृषि क्षेत्र को रियायती दर पर जबकि कुछेक मामलों में तो निशुल्क विद्युत आपूर्ति करना चाहती थीं।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को रियायती मूल्य पर बिजली देना भी सरकार की नीति रही है। और इन्हीं नीतियों के अन्तर्गत इन सभी बिजली बोर्डों ने लगभग 40,000 करोड़ रुपये की रियायतें उपभोक्ताओं को दी हैं। कृषि तथा उद्योग और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की बिजली की आपूर्ति में दी गई छूटों (अथवा रियायतों) के चलते ही देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका था। यदि यह नीति बदल दी जाती है और वे लोग (सत्ताधारी) इसे बदल ही रहे हैं, और वह भी लागत को आधार बना कर, तो हमारे कृषि क्षेत्र पर उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे।

विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों तथा भारत की निजी कम्पनियों को ऊर्जा (अर्थात् बिजली) उत्पादन के क्षेत्र में आमंत्रित किया गया है। इसके दुष्परिणामस्वरूप बिजली के मूल्य देश में व्याप्त वर्तमान मूल्यों की तुलना में तीन गुणा बढ़ जाएंगे। इसका हमारे समग्र आर्थिक विकास पर विषय दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिजली कर्मचारियों, इंजिनयरों, वित्तीय विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने सरकार की इस नयी ऊर्जा नीति का घोर प्रतिकार किया है। देश में सस्ते मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है, और इसके विकास की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं; इसके लिये विश्व बैंक के ढबावों में आने को कोई आवश्यकता नहीं है।

बिजली बोर्ड को जीवनक्षम बनाने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाए हैं। ये कदम ठीक दिशा में उठाए गए हैं। इस समय वैकल्पिक नीतियों के लिये अपने सुझाव नहीं देना चाहता। मैं केवल उनका यहां उल्लेख ही करना चाहता हूँ कि हमें अर्थात् सी आइ टी यू को ऊर्जा, तेल, विद्युत तथा कोयला इत्यादि क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिये पहलकदमी करनी चाहिये ताकि हम राष्ट्र के विकास हेतु नीति का एक निश्चयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर सकें।

बीमा क्षेत्र

साधियों,

आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/विश्व बैंक हमारे वित्तीय क्षेत्र का निजीकरण करने तथा निजी धन के निवेश हेतु खोल देने के लिये बल देते रहे हैं। सरकार ने उनके निर्देशों पर ही महल्लोहा समिति का गठन करके इस दिशा में कदम उठाए थे ताकि उनके विचारों के समाहित किया जा सके। इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों ने बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र को निजी पूंजी के लिये खोल देने तथा उनका निजीकरण करने का सुझाव दिया था। अन्ततः सरकार बीमा क्षेत्र को विदेशी तथा भारतीय पूंजी के लिये खोलने के साथ-साथ उनका निजीकरण कर देने का प्रस्ताव लेकर सामने आई।

जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम ने अपने कार्य प्रदर्शन के द्वारा ग्राहकों को अच्छी सेवा देने तथा अतिरिक्त धन जुटाने की अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया है। एल आइ सी ने अपना काम वर्ष 1956 में केवल 5 करोड़ की पूंजी से शुरू किया था; उसने लोगों की वचनों का संचय किया और अतिरिक्त धन अर्जित किया है। उसने पिछले अनेक वर्षों में हमारे देश की वार्षिक विकास दर 20 प्रतिशत वार्षिक की बनाए रखने और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विपुल धन राशि का योगदान दिया है। केवल वर्ष 1995-96 में संचित प्रीमियम आय 14,182 करोड़ रुपये की रही। उसकी कुल आय जिसमें निवेश से अर्जित आय भी सम्मिलित है, 22,000.04 करोड़ रुपये रही। अत्यधिक निपटारा अर्थात् 97 प्रतिशत करने के मामले में एल आइ सी की भूमिका शानदार रही है। एल आइ सी 12 प्रतिशत की अल्प ब्याज दर पर सरकार को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती रही है। हमारे देश के विकास कार्यों के लिये धन जुटाने वाला यह सबसे बड़ा स्रोत है।

जी आइ सी का कार्य प्रदर्शन भी समान रूप से सराहनीय रहा है। उसने हमारे देश की विकास गतिविधियों के लिये संसाधन जुटाने, बीमा दावों का निपटारा करने तथा अपने ग्राहकों को बीमा व्यवय उपलब्ध कराने के मामले में उल्लेखनीय काम किया है। वर्ष 1994-95 में जी आइ सी के दावों का निपटारा 74 प्रतिशत रहा जबकि इसकी अन्तर्राष्ट्रीय दर कठिनाई से 40 प्रतिशत ही है। जी आइ सी ने 21.5 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ अपना काम शुरू किया था। उसने सरकार के 194 करोड़ रुपये तक बीमस शेयर का भुगतान किया है। एल आइ सी तथा जी आइ सी दोनों मिल कर न्यूनतम 20,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध करा सकते हैं। व्यवसाय की वर्तमान दर के अनुसार पांच वर्षों में एक लाख करोड़ रुपये;

इन्हें और अधिक विकसित किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं।

हमारे देश की निजी कम्पनियों की करुण कथा क्या है? इसे हम सब जानते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी अपने 74 प्रतिशत दावों का निपटारा नहीं कर सकी। अन्य कम्पनियों की स्थिति भी न्यूनताधिक यही है। अन्तर्राष्ट्रीय बीमा क्षेत्र जिसमें अमरीका का बीमा क्षेत्र भी सम्मिलित है, हमारे बीमा क्षेत्र से अच्छा कार्य प्रदर्शन करने का दावा नहीं कर सकता।

इसलिये बीमा क्षेत्र के कार्य कोशल्य में सुधार लाने तथा संसाधन जुटाने के लिये उसे देशी तथा विदेशी निजी पूंजी के लिये खोल देने के सम्बन्ध में सरकारी प्रवक्ता तथा नियोजक संगठनों की ओर से जो मामला प्रस्तुत किया जा रहा है, वह समीक्षा की कसौटियों पर खरा नहीं उतर सकता क्योंकि निजी क्षेत्र इससे अधिक शानदार कार्य प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। उनका यही इतिहास है। इससे निजी क्षेत्र की संसाधन जुटाने का लाभ अवश्य मिलेगा किन्तु उन संसाधनों का उपयोग वे लोग स्वयं अपने निजी हितों में ही करेंगे। इसकी और अधिक सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। यह कार्रवाई राष्ट्र विरोधी है। इसलिये हमें निजीकरण के विरोध में बीमा कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे संघर्ष के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करनी चाहिये। उनके द्वारा निजीकरण सम्बन्धी नीति का प्रतिकार करने के लिये 9 दिसम्बर को शानदार हड़ताल की गई थी। संसद में प्रस्तुत बीमा नियंत्रक प्राधिकरण विधेयक में उस प्रावधान को ही निकाल देना पड़ा था जिसके अन्तर्गत निजी कम्पनियों को लायसेंस देने की व्यवस्था की गई थी। जन दबाव तथा कर्मचारियों के दबाव के चलते ही ऐसा सम्भव हो सका था। साथियों, मैं आपको और से सरकार को यह बता देना चाहता हूँ कि वह (सरकार) बीमा क्षेत्र का निजीकरण चाहता हूँ कि वह (सरकार) बीमा क्षेत्र का निजीकरण करने के लिये कोई कार्रवाई न करे।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

साथियों, मैं एक और क्षेत्र की घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अर्थात् आइ डी पी एल। योजनाबद्ध विकास के एक भाग के रूप में हमने इस कम्पनी की स्थापना की थी ताकि देश की जनता को उन दवाओं पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएं जिनमें वे सहज ही चुका सकें और हमारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। आइ डी पी एल ने देश के विभिन्न भागों में अपनी पांच इकाइयाँ स्थापित की जहाँ शोध एवं विकास की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई थीं। इसके चलते यह कम्पनी विभिन्न इकाइयों में भारी मात्रा में दवाएं, फार्मूलेशन फाइन कैमिकल्स, सर्जिकल उपकरण इत्यादि तैयार किये जा सके थे।

आइ डी पी एल द्वारा तैयार की गई अधिकांश दवाओं में पेंसिलीन जी तथा पेंसिलीन से तैयार की गई हायर एण्टीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टैट्रासाइक्लिन, आक्सी टैट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फा ड्रग्स, विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, निकोसोइनामाइड, एनलिन, क्लोरोक्विन, फ्लोरेफेन, पैरासिटामोल, एसेटिक एसिड, थियासेटाजोन, पिपरजान

साल्ट, प्रिंसोफुलविन इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने आइ डी पी एल से कच्चा माल (दवाओं के लिये आवश्यक) को खरीद करना शुरू कर दिया था।

उसके नुसखों (फार्मूलेशन्स) में सुकरोइ (विटामिन सी), आइडोसिन, आइडोफुलविन, एबडोपा, एनलिन, इत्यादि का बाजार में भारी भाग रहा है। अन्य नुसखों ने अपने लिये अच्छा बाजार तैयार कर लिया जैसे टैट्रासाइडिन, सेबेक्सिन, हेक्सविट, इडिबैड, थियोसाइक्ली, इडोजोन इत्यादि।

आइ डी पी एल ने राज्य सरकारी तथा केंद्रीय सरकारी संगठनों को सस्ते मूल्य पर दवाओं की आपूर्ति की है। आइ डी पी एल ने बाजार के लिये किरायाती मूल्यों पर अनेक नुसखे तैयार किये हैं। इसके चलते बहुराष्ट्रीय तथा बड़ी भारतीय कम्पनियों को अपने उत्पादों (दवाओं एवं स्वास्थ्य वर्षकों) के मूल्य कम करने पर विवश होना पड़ा। उदाहरणार्थ वर्ष 1995 में टैट्रासाइडिन का मूल्य 15 रुपये प्रति कैप्सूल था। आइ डी पी एल ने टैट्रासाइडिन तैयार की और उसका मूल्य रखा 50 पैसे प्रति कैप्सूल। इसके कारण सभी कम्पनियों को टैट्रासाइडिन के मूल्य कम करने पड़े। मेबेंडाजोले (6 गोतियों) का मूल्य 14 रुपये था। आइ डी पी एल ने मेबेंडाजोले तैयार किया और 6 गोतियों का मूल्य रखा 1.6 रुपया। इसके कारण सभी कम्पनियों की मेबेंडाजोले के मूल्य कम करने पड़े।

आइ डी पी एल दवा बाजार में सक्रिय 20 बड़ी कम्पनियों में से एक बन गई। आइ डी पी एल ने अपनी यह स्थिति वर्ष 1989-90 तक बनाए रखी।

आइ डी पी एल ने भारत के लोगों को सस्ते मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध कराई हैं और इस प्रकार उसने अपने सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 1991 के पश्चात् भारत सरकार ने इस कम्पनी को वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया। अब इस कम्पनी का नाम बीमार कम्पनियों की सूची में जुड़ चुका है। इस कम्पनी में कामबंदी हो, यह बात इस क्षेत्र में सक्रिय बहुराष्ट्रीयों के हित में है। यदि इस कम्पनी को बंद होने दिया गया तो हमारे देश के लोगों को इसका भारी मोल चुकाना पड़ेगा और उन्हें महंगे मूल्यों पर दवाएं खरीदनी पड़ेंगी। बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी भारत सरकार ने इस कम्पनी के लिये फण्ड उपलब्ध नहीं कराए हैं। यह केवल इस कम्पनी में काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा का मामला ही नहीं है, यद्यपि यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है तथापि मुख्य प्रश्न तो इस देश की जनता को उस मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराना है जिसे वे सहज चुका सकें।

इसके अतिरिक्त सरकार ने अभी तक भारतीय एकरव (पेटेंट) अधिनियम में संशोधन करने की अपनी योजना को त्यागा नहीं है। हमें इसका खोर विरोध करना चाहिये अन्यथा दवा उद्योग में हमारी आत्मनिर्भरता पर घातक दुष्प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन टी सी) को भी सरकार की नीति के अन्तर्गत गम्भीर हमले को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सर्वसम्मत समझौते तथा एन टी सी मिलों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्जीवन सम्बन्धी कपड़ा शोध संघों (टेक्स्टाइल रिसर्च एसोसिएशन्स) रिपोर्ट की धजियाँ उड़ा कर रख दी हैं। प्रधान मंत्री द्वारा हमें दिया गया आश्वासन झूठा निकला, हम हाल ही में उन्हें मिले थे। एक सूचना के अनुसार एन टी सी की लगभग 30-40 मिलें बंद होने जा रही हैं जिसके चलते लगभग एक लाख श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। सभी श्रमिक संगठनों का संयुक्त मंच इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहा है। हमें हर प्रकार से सरकार के अभियान का विरोध करना होगा और एन टी सी मिलों को बचाना होगा क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के इस उद्योग में श्रमिकों की विशाल संख्या कार्यरत है।

साथियो,

मैं भ्रष्टाचार के मामलों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। देश के चुर्चुआ राजनीतिक दलों विशेष रूप से कांग्रेस-इ के ऊपर भ्रष्टाचार एवं बड़े-बड़े घोटालों के साथे मंडरा रहे हैं। दिन-रात भ्रष्टाचार के कांडों की गुंज सुनाई देती है और समाचार पत्रों के कालम भ्रष्टाचार के मामलों तथा अदालत में चल रहे मुकद्दमों के समाचारों से भरे रहते हैं। पूर्व प्रधान मंत्री तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्री पी वी नरसिम्हा राव स्वयं भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में संलिप्त हैं, उनके घोटाले विशेष श्रेणी के हैं। जब श्री राव सत्तासीन हुए थे तो उन्हें संसद में बहुमत प्राप्त नहीं था। वह सांसदों को बिपुल धन-राशि देकर खरीदने के परिणामस्वरूप बहुमत जुटा सके थे। अब यह मामला अदालत में चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र में इससे पूर्व भी अनेक स्थानों पर भ्रष्टाचार व्याप्त रहा है किन्तु इस प्रकार का भ्रष्टाचार सांसदों की खरीदना और उन्हें बिपुल धन-राशि देना, अपने प्रकार के भ्रष्टाचार का विशेष मामला ही था और ऐसा मामला पहले कभी प्रकाश में नहीं आया था। इस मामले में राव सरकार के पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा ने देश के बड़े निर्यातकों से धन का संग्रह किया। कैप्टन सतीश शर्मा ने अप्रैल 1993 से फरवरी 1994 की अवधि में उद्योगपतियों से 50 करोड़ रुपये प्राप्त किये। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर किये गए आरोप पत्र के अनुसार उसका विवरण इस प्रकार है:

मैसर्स जिंदल सा पाइप्स, हिसार के श्री पृथ्वी राज जिंदा से अप्रैल-मई 1993 में 50 लाख रुपये।

मैसर्स वीडियोकोन इंटरनेशनल लिमिटेड के श्री बी एन धृत से जुलाई 1993 में 1 करोड़ रुपये तथा अक्टूबर, 1993 में 1 करोड़ रुपये ईसार ग्रुप आफ कम्पनीज के श्री शशि राहुया नवम्बर 1993 में 3 करोड़ रुपये तथा फरवरी 1994 में 4 करोड़ रुपये।

मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्री मुकेश अम्बानी से जून 1993 में 1 करोड़ रुपये, अक्टूबर 1993 में 1 करोड़ रुपये और दिसम्बर

1993 में 2 करोड़ रुपये।

मैसर्स बिंदल एग्री इंडस्ट्रीज के श्री अभय ओसवाल से अप्रैल/मई 1993 में 1.5 करोड़ रुपये।

देश के पूंजीपति प्रायः नैतिकता की दुहाई देते रहते हैं। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में वे क्या कहेंगे। श्री राव को एक बरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अभी भी कांग्रेस-इ में उनका समर्थन करने वाले लोग विद्यमान हैं। देश का जनसाधारण इस गोरखधंदे की कदापि समझ नहीं सकता। आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिये कि राव मंत्रिमण्डल के एक दर्जन से अधिक मंत्री भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में संलिप्त पाए गए हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा मंत्री भी भ्रष्टाचार की बुराई से अछूते नहीं हैं। हम यह भी देखते हैं कि राज्यों में अनेक नेता भ्रष्टाचार के आरोपों तथा मुकद्दमों का सामना कर रहे हैं। जब ललित का मामला इसका एक प्रमाण है। बिहार में लालू प्रसाद यादव भी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यद्यपि उच्च स्थानों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बातें की जाती हैं तथापि सरकार ने आज की तिथि तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। चुर्चुआ व्यवस्था सर्वत्र भ्रष्टाचार से ग्रसित है और इस तथ्य को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तथापि भ्रष्टाचार विरोधक कानून संसद में बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सांसदों तथा विधायकों को इन कानूनों की परिधि से बाहर रखा जाए। हमें इसका घोर विरोध करना होगा। देश के श्रमिक वर्ग को उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु संघर्ष करना होगा, जहां वर्तमान में यह व्याप्त है।

साथियो, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं नयी दिल्ली में 16 दिसम्बर, 1996 को आयोजित जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के सम्मेलन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित करके सरकार की प्रतिगामी नीतियों को बदलने के लिये श्रमिक वर्ग से विशाल संघर्ष करने का आह्वान किया गया है। सम्मेलन द्वारा एक मांग पत्र तथा संघर्ष का कार्यक्रम तैयार किया गया है। उन्होंने 15 सूचीय मांग पत्र में उन मुद्दों को भी सम्मिलित किया है जिनसे श्रमिक वर्ग तथा देश के जन साधारण को दो-चार होना पड़ रहा है। मैं उसके विवरण में जाना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें यहां एक प्रस्ताव के रूप में लाया जा रहा है। मैं आपसे दिल्ली सम्मेलन के आह्वान को समुचित प्रत्युत्तर देने का अनुरोध करता हूँ।

संपादक मंडल

एम के पंधे (संपादक)

पी के गांगुली (कार्यकारी संपादक)

नरिन घोष, एम एम लॉरेस

बिमल रणदिवे, रंजीत बसु

रेल रोको/रास्ता रोको कार्यक्रम अब एक दिन पहले होगा

राष्ट्रीय जन संगठन मंच ने देशव्यापी रेल रोको/रास्ता रोको कार्यक्रम को पुनः निर्धारित किया है। अब यह कार्यक्रम 28 मार्च की अपेक्षा 27 मार्च 1997 को किया जाएगा। यह कदम 28 मार्च को गुड फ्राइडे अवकाश होने के कारण उठाया गया है। यह जानकारी गत 17-1-1997 को नयी दिल्ली में सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंथे, एटक के बी डी जोशी तथा एच एम एस के आर ए ए मित्तल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन में दी गई है।

रेल रोको/रास्ता रोको कार्यक्रम 27 मार्च को सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 11.30 बजे देश भर में चलाया जाएगा। राष्ट्रीय मंच के 16 दिसम्बर को आयोजित दिल्ली सम्मेलन द्वारा निश्चित 15 सूत्रीय मांग पत्र के अनुसार संघर्ष के अन्य सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही होंगे। संघर्ष का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :

1. राज्य/जिला स्तरीय सम्मेलन 15 फरवरी, 1997 तक सम्पूर्ण कर लिये जाएं।
2. देश भर में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के समक्ष 25 फरवरी, 1997 को धरने।
3. देश भर में रेल रोको/रास्ता रोको 27 मार्च, 1997 को सुबह 9.30 बजे से दोपहर 11.30 तक।
4. बजट सत्र के दूसरे भाग के समय संसद की ओर मार्च। इसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी।
5. सम्मेलन ने सार्वजनिक क्षेत्र श्रमिकों की समिति सी पी एस टी यू द्वारा भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी नीति के विरोध में बनाए गए संघर्ष के चरणबद्ध कार्यक्रम का समर्थन किया। इस कार्यक्रम का परिणति 20 अप्रैल, 1997 को एक दिवसीय हड़ताल से होगी।

शोक प्रस्ताव

कामरेड सुनील मैत्र

जनरल कौंसल (महा परिषद) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य तथा पीपुल्स डेमोक्रेसी के सम्पादक कामरेड सुनील मैत्र का अचानक देहावसान हो जाने पर गहरा शोक व्यक्त करती है। उनका देहांत 18 सितम्बर, 1996 को हुआ था। पाँच दशकों से भी अधिक समय तक अपने सम्पूर्ण सक्रिय राजनीतिक जीवन में वह श्रमिक आंदोलन के साथ सम्बद्ध रहे थे। अपनी राजनीतिक एवं सांगठनिक क्षमताओं के चलते वह बीमा कर्मचारियों के मध्य श्रमिक आंदोलन के प्रणेता एवं निर्माता बने। जनरल कौंसल दिवंगत नेता को अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनकी पत्नी कामरेड

केरल राज्य सी आइ टी यू

जनरल कौंसल बैठक

सी आइ टी यू केरल राज्य जनरल कौंसल की बैठक 20-22 दिसम्बर, 1996 को त्रिचुर में सम्पन्न हुई। बैठक स्थल का नाम कामरेड के वी वेलायुथान नगर रखा गया था। सभी 450 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई. बालानंदन ने बैठक का उद्घाटन किया जबकि कामरेड सी कानन द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। प्रारम्भ में कामरेड सुनील मैत्र, कामरेड गोदावरी पारुलेकर तथा कामरेड वी जी भास्करन नायर की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव पारित करके उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई। क्रीडेशियल समिति की रिपोर्ट कामरेड एन पद्मालोचन द्वारा प्रस्तुत की गई।

कामरेड बालानंदन ने अपने भाषण में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की चर्चा करते हुए बताया कि पूर्वगामी नरसिम्हा राव सरकार तथा संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा जारी रखी गई आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थितियों में श्रमिक वर्ग को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

सी आइ टी यू की केरल राज्य समिति के महासचिव कामरेड के एन रविन्द्रनाथ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जहां राज्य की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला वहीं विश्व बैंक -अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निदेशित आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप देश की दुरावस्था पर चर्चा भी की। रिपोर्ट पर बहस में पचास साधियों ने भाग लिया। बहस 9 घण्टों तक चली। कामरेड रविन्द्रनाथ ने 22 दिसम्बर के सत्र में बहस का उत्तर दिया। उसके पश्चात् रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इस अवसर पर राज्य की उद्योग मंत्री कामरेड सुशीला गोपालन, वित्त मंत्री शिवदास मेनन, मत्स्य पालन विभाग के मंत्री कामरेड टी के रामाकृष्णन, सांसद कामरेड वी वी राघवन (सी पी आई) तथा सी पी आइ (एम) के राज्य सचिव कामरेड चांडयन गोविन्दन इत्यादि नेताओं ने भाषण दिये।

नीलिमा मैत्र जो हमारी कार्यसमिति (वर्किंग कमेटी) की सदस्या हैं तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हैं।

कामरेड गोदावरी पारुलेकर

जनरल कौंसल प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और देश में आदिवासी एवं किसान आंदोलन की निर्मात्री कामरेड गोदावरी पारुलेकर के देहावसान पर गहरा शोक व्यक्त करती है। वह 89 वर्षों की थीं। सी पी आइ (एम) की एक गणमान्य नेत्री कामरेड गोदावरी अनुकरणीय कम्युनिस्ट थीं। विदर्भ क्षेत्र की शोषित आदिवासी तथा किसान जनता के साथ उनकी सम्पूर्ण एकरूपकता एवं समरसता ने उन्हें लोकख्यात नेत्री बना दिया था। जनरल कौंसल दिवंगत नेत्री को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

सी आइ टी यू जनरल कौंसिल बैठक का मुख्य प्रस्ताव

सी आइ टी यू जनरल कौंसिल की 5-8 जनवरी, 1997 को विशाखापटनम में आयोजित बैठक संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक निदेशित नीतियां जारी रखे जाने के कारण भारत की दिन-प्रतिदिन खराब होती चली जा रही स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। इसका श्रमिक वर्ग किसानों तथा देश के अन्य पश्चिमी लोगों पर दूरगामी विषम दुष्प्रभाव पड़ेगा।

अभी-अभी समाप्त हुए वर्ष में देश की जनता ने लोकतांत्रिक चुनावी निर्णयदेश के माध्यम से भ्रष्ट कांग्रेस [इ] सरकार जिसके संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के लिये अधिक अभियान के चलते देश बर्बादी के दहाने पर आ खड़ा हुआ है, को चलाता कर दिया था।

इन नीतियों का दुष्प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र पर विशाल स्तर पर पड़ा है। यह भारत द्वारा विकसित औद्योगिक, आंतरिक संरचनात्मक तथा वित्तीय क्षमताओं के लगभग प्रत्येक क्षेत्र की सुनियोजित ढंग से विखंडित किये जाने और कोष-बैंक के निदेशानुसार राज्य का निर्लज्जापूर्ण ढंग से सभी आर्थिक गतिविधियों से अपने हाथ खींच लेने की दुःखद एवं चिनावनी कहानी है। और अब देश में प्रत्येक बात को निर्णय बाजार अर्थ व्यवस्था ही लेगी।

इसके साथ साथ श्रमिक संगठनों तथा अन्य जन संगठनों ने न केवल अपनी सामान्य मांगों के लिये अपितु उद्योगवार एवं क्षेत्रवार मांगों के समर्थन में श्रमिकों, किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, छात्रों तथा चुनावों को संघर्ष के संयुक्त कार्यक्रमों के लिये संगठित किया है ताकि गतिगामी नीतियां समाप्त कराई जा सकें और उनके स्थान पर वैकल्पिक प्रगतिशील नीतियों की अपनाया जाए; देश की आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र एवं राष्ट्रीय सम्प्रभुता की रक्षा की जा सके। इसकी उदाहरण ही नहीं मिलती।

क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के भूमंडलीय बाजार में बेच डालने के लिये हताशा भरी कार्रवाईयों की जाती रही हैं, इसलिये इसी अवधि में इन नीतियों की परास्त करने और इनके विरुद्ध संघर्ष करने के लिये जनता ने अपने दृढ़ निश्चय का प्रमाण किया है। सी आइ टी यू उचित रूप में गर्व का अनुभव कर सकता है क्योंकि उसने सामान्य सहमति वाली मांगों पर निरंतर चलने वाले संयुक्त संघर्षों को विकसित करने में एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

केंद्र में कांग्रेस [इ] सत्ता की पराजय तथा 13 दलों के गठबंधनवाली सरकार के बनने से भाजपा तथा अन्य सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा सरकार बनाने के लिये किये जा रहे प्रयास विफल हुए हैं; इसके चलते लोगों में उच्च आशाओं तथा अपेक्षाओं ने जन्म लिया है और वे समझने लगे हैं कि पिछली प्रतिगामी नीतियों को अब बदल दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश संयुक्त मोर्चा सरकार कांग्रेस [इ] सत्ता की उन्हीं विनाशकारी नीतियों पर चल

रही है जिन्हें जनता ने ठुकरा दिया था।

संयुक्त मोर्चा सरकार के सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में दिये गये जन पक्षीय आश्वासनों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण नहीं किया जा रहा। इसके विपरीत सभी जन संगठनों तथा लोकतांत्रिक आंदोलन द्वारा घोर विरोध किये जाने पर भी अर्थव्यवस्था के आधारभूत क्षेत्रों को निर्लज्जापूर्ण ढंग से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये खोल देने और उन्हें हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की खुली छूट देने; सार्वजनिक क्षेत्र की लाभ पर चलने वाली इकाइयों एवं कंपनियों के शेयरों के पूंजी विनिवेश; बीमार सार्वजनिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के मामले में पूर्ण निष्क्रियता; सोमा शुल्क के आकार में कमी लाकर आयातों को निर्लज्जा से दी जा रही छूटें; विश्व व्यापार संगठन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों के दबाव में आकर अधिकाधिक समर्पण करने अर्थात् उनकी चालपूसी करने और इसके साथ-साथ ट्रेड यूनियनों तथा लोकतांत्रिक आंदोलन के अधिकारों पर डाका डालने; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण की अन्य सेवाओं का व्यवसायीकरण करने जैसी नीतियों को और अधिक शक्ति के साथ कार्यरूप दिया जा रहा है।

श्रमिक वर्ग, किसानों तथा समाज के अन्य परिश्रमी वर्गों के जबरदस्त हस्तक्षेप से ही (संयुक्त मोर्चा सरकार को) जनता की आशाओं पर पानी फेर देने से रोका जा सकता है और उन आश्वासनों (एवं प्रण) को पूरा कराया जा सकता है जो चुनावों के समय जनता से किये गये थे और पिछली कांग्रेस [इ] सरकार की विनाशकारी नीतियों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है तथा जनता, श्रमिक वर्ग एवं अन्य परिश्रमी वर्गों को राहत दिलाई जा सकती है जिसकी उन्हें अत्यंत आवश्यकता है। हम इस तथ्य को कदापि भुला नहीं सकते कि श्रमिक वर्ग के संघर्षों के परिणामस्वरूप ही सरकार में परिवर्तन हुआ है। यही वह संघर्ष है जो एक ओर भ्रष्ट तथा सत्ता के दलालों तथा दूसरी ओर विभाजक एवं सांप्रदायिक शक्तियों को ठिकाने लगा सकता है। यह वही संघर्ष है जो संयुक्त मोर्चा सरकार को अपने प्रण तथा आश्वासनों का पालन करने पर विवश कर देगा।

इसलिये जनरल कौंसिल (महा परिषद) राष्ट्रीय जन संगठन मंच तथा सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड यूनियनों की समिति [सी पी एस टी यू] द्वारा लिये गए निर्णयों का स्वागत एवं अनुमोदन करती है जिसके अंतर्गत जन लामबंदी तथा आंदोलन में अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मंच ने केंद्रीय संगठनों तथा अन्य जनसंगठनों को संयुक्त बैठक में लिये गए निर्णयों के आधार पर 16 दिसंबर, 1996 को नयी दिल्ली में सफलतापूर्वक एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन ने चुनावी आश्वासन एवं प्रण पूरे करने; श्रमिक वर्ग, किसानों तथा जनता के गरीब वर्गों की मांगों को पूरा करने के लिये अपनी नीतियों को नया स्वरूप देने के मामले में संयुक्त मोर्चा सरकार बुलमुत्पन्न तथा धरभराहट की घोर

निंदा की थी। सम्मेलन ने सभी जनसंगठनों तथा जनता की 15-सूत्रीय मांगों के आधार पर एक विशाल जन आंदोलन चलाने का निर्णय भी लिया था। संघर्ष के कार्यक्रम में विशाल स्तर पर जन अभियान चलाना, धरने देना, रेल रोको/रास्ता रोको, राज्य एवं जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन तथा बजट सत्र के समय संसद की कूच करना भी सम्मिलित है।

इसके साथ-साथ सी पी एस टी यू ने 2 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उसके पश्चात् अनेक आंदोलनात्मक कार्याचार्यों की जाएंगी। हड़ताल की मांगों में न केवल वेतन संशोधन के मामले को शामिल किया गया है अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के विरुद्ध हमलों को रोकने तथा बीमार सार्वजनिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने हेतु आवश्यक एवं व्यावहारिक कदम उठाने के लिये सरकार को विवश कर देने की भावना का समावेश भी किया गया है।

इसके साथ ही निचले स्तर पर संघन जन अभियान चला कर प्रतिगामी सरकारी पेंशन योजना के विरुद्ध संयुक्त आंदोलन को और तेज करना होगा। इस संबंध में जन हस्ताक्षर अभियान पहले ही शुरू किया जा चुका है और इस अभियान के अंतर्गत देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ संपर्क स्थापित करने के लिये भरसक प्रयास करने होंगे। विशाल संख्या में भविष्य निधि अंशदाताओं के हस्ताक्षरों से युक्त ज्ञापन अगले सत्र में लोक सभा को एक विशाल जन प्रदर्शन के माध्यम से भेंट करना होगा।

जनरल काँसल (अर्थात् महा परिषद) ने सी आई टी यू की पश्चिम बंगाल राज्य समिति तथा अन्य श्रमिक संगठनों के उस निर्णय का समर्थन किया जिसके अंतर्गत राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार पड़ी सभी इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा खोलने की मांग को लेकर एक दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। ये बीमार इकाइयाँ निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अवस्थित हैं। महा परिषद ने सभी राज्य समितियों तथा देश के सभी श्रमिक संघों को उस दिन एकजुटा प्रदर्शन करने का आह्वान किया। हड़ताल की तिथि का निर्धारण पश्चिम बंगाल राज्य समिति द्वारा बाद में किया जाएगा।

पिछले आम चुनावों ने पूर्वगामी सरकार की नीतियों के विरुद्ध गहरे जन असंतोष को दर्शाया था। यदि इस गहरे जन असंतोष को जनतामंदी एवं संघर्ष की संयुक्त कार्याचार्यों में परिवर्तित किया जाए तो संभव है कि उसके फलस्वरूप न केवल श्रमिकों तथा अन्य परिश्रमी श्रेणियों के तत्कालिक हितों की रक्षा की जा सकेगी अपितु घोर परिश्रम से प्राप्त की गई देश की संप्रभुता को बचाने की संभावनाओं के द्वार भी खोले जा सकेंगे। इससे परिश्रमी जनता की एकता सुदृढ़तर होगी और सांप्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों को हाशिये पर धकेला जा सकेगा।

इसलिये सभी सांगठनिक सम्वद्धताओं से ऊपर उठ कर श्रमिकों तथा अन्य जनसंगठनों को लाभबंद करने के लिये घर संघर्ष उपाय किये जाने चाहिये और जनता के अधिक से अधिक नये वर्गों को संघर्ष में शामिल करना होगा। सी आई टी यू इस ऐतिहासिक कर्तव्य को निभाने का दायित्व

अपने ऊपर लेती है।

राष्ट्रीय जन संगठन मंच, सी पी एस टी यू द्वारा बनाए गए आंदोलनात्मक कार्यक्रम और पेंशन जैसे विशेष मुद्दों पर संघर्ष का कार्यक्रम इस प्रकार होगा:

(अ) जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम

1. राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सभी कन्वेंशन्स 15 फरवरी तक आयोजित कर ली जायेगी।
2. 25 फरवरी को पूरे देश में केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने सत्याग्रह किया जायेगा।
3. 28 मार्च को सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक देश भर में रेल रोको/रास्ता रोको का आयोजन किया जायेगा।
4. संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान संसद मार्च का आयोजन किया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की कमेटी के कार्यक्रम

1. 27-28 जनवरी को बंगलूर में वेतन समझौतों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।
2. राज्य/जिला/क्षेत्र/उद्योग स्तर की कन्वेंशन आयोजित की जायेगी।
3. 12-13 फरवरी को नयी दिल्ली में बीमा उद्योगों पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया जायेगा।
4. 14 फरवरी को उद्योगों की बीमारी के खिलाफ और उन्हें पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर नयी दिल्ली में दिन भर का धरना आयोजित किया जायेगा।
5. 10 मार्च को प्रदर्शनों तथा रैलियों आदि के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम इकाइयों में अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया जायेगा।
6. 2 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र की तमाम इकाइयों में हड़ताल आयोजित की जायेगी।

(स) पेंशन योजना संबंधी कार्यक्रम

1. मध्य फरवरी तक अधिक से अधिक हस्ताक्षर एकत्रित करना सुनिश्चित करने के लिए जनहस्ताक्षर अभियान तेज किया जायेगा।
2. संसद के बजट सत्र के दौरान नयी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन के आयोजन के साथ लोकसभा अध्यक्ष को यह जन ज्ञापन दिया जायेगा।
- (ह) पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में बीमार एवं बंद पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित करने एवं पुनः खोलने की मांग के पक्ष में राज्य व्यापी हड़ताल के दिन देश भर में एकजुटा प्रदर्शन किये जाएंगे।

सी आई टी यू की महा परिषद (जनरल काँसल) अपनी सभी राज्य/जिला समितियों, सभी संबद्ध संगठनों और उनके साथ-साथ सभी उद्योगवार महासंघों (फेडरेशनों) को आह्वान करती है कि वे उपरोक्त मुद्दों पर संघर्ष को पूर्ण गंभीरता के साथ लें और संघर्ष के कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिये निचले स्तर पर जबरदस्त जन अभियान चलाएं।



पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग

जनरल कौंसल पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के मामले में की जा रही शान्ताका एवं अनावश्यक देरी पर घोर आपत्ति व्यक्त करती है। (नोट- ये पंक्तियाँ लिखे जाने के समय रिपोर्ट प्रस्तुत होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती थी) आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये गए अपने आवेदनों का सम्मान भी नहीं कर सका है जो उसने यथाशीघ्र सरकार को अपनी संस्तुतियाँ देने के सम्बन्ध में दिये थे। वित्त मंत्री श्री पी चिदाम्बरम द्वारा हाल ही में दिये गए वक्तव्यों से संकेत मिलता है कि सरकार की ओर से ही केंद्रीय सरकारी सेवा क्षेत्र में चिर प्रतीक्षित वेतन संशोधन के मामले में जानबूझकर देरी की गई है। सामान्यतः पूर्णों में प्रकाशित अनेक रिपोर्टों से भी यही संकेत मिलता है कि वेतन आयोग की संस्तुतियों का उच्च नौकरशाहों के पक्ष में ही अधिकाधिक हॉगी जबकि साधारण कर्मचारियों के लिये अलाभकारी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ वेतन समानता की मांग के प्रति आयोग का रुख शुष्क एवं कठोर होगा। किसी वैज्ञानिक वेतन नीति की तो बात ही जाने दीजिये। जहाँ कर्मचारियों की मूल मांगों आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सरकारी सेवा क्षेत्र की श्रम शक्ति में जबरदस्त कटौती लागू कर दी जाएगी। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जनरल कौंसल (कहा परिपद) की यह बैठक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से आह्वान करती है कि वे पांचवें वेतन आयोग की प्रतिगामी संस्तुतियों के विरुद्ध संघर्ष की गम्भीर कार्रवाई करने के लिये तैयार रहें। सी आइ टी यू ऐसे किसी भी संघर्ष का पूर्ण समर्थन करने की विश्वास दिलाती है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल

जनरल कौंसल बैठक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस के मुद्दे पर उनकी सफल हड़ताल के लिये बधाई देती है। यह हड़ताल 23 से 29 अक्टूबर तक हुई थी। विभिन्न श्रमिक संघों तथा वाम दलों द्वारा दिये गए समर्थन और कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित पूर्ण एकता के चलते जहाँ नेतृत्व के एक वर्ग द्वारा अपनाई गई सहयोगवादी लाइन को मुंह की खानी पड़ी वहीं हड़ताल को महान एवं शानदार सफलता प्राप्त हुई है। वाम दलों के नेताओं द्वारा श्रमिकों के पक्ष में तत्काल एवं प्रभावी कदम उठाए जाने के कारण संयुक्त मोर्चा सरकार को केंद्रीय सरकारी स्टाफ के लगभग 40 लाख कर्मचारियों के मामले में कम से कम पहले कदम के रूप में बोनस देने के लिये पात्रता सीमा समाप्त करने की श्रमिक जनता की सामान्य मांग पर अनुकूल निर्णय लेने पर विवश होना पड़ा। जहाँ महा परिपद (जनरल कौंसल) सरकार के निर्णय का स्वागत करती है वहीं जहाँ जहाँ उनको उनकी संयुक्त कार्रवाई के लिये बधाई देती है; इसके साथ ही उन्हें आह्वान करती है कि वे आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिये अपनी पंक्तियों में एकता लाएं और इस एकता को मजबूत बनाएं।

महापरिपद (जनरल कौंसल) हड़ताल की अवधि की अवकाश मानकर उसे नियमित रखने सम्बन्धी सरकार के निर्णय का स्वागत करती है। उसका यह रुख पूर्वगामी कांग्रेस-इ सरकार के एकराजवादी रुख से सर्वथा भिन्न रहा जिसके चलते अतीत में कर्मचारियों के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिरोधात्मक कार्रवाइयों की जाती रही हैं। इसके साथ ही महापरिपद रेखांकित करती है कि सरकार का उक्त निर्णय केवल डाक एवं तार विभाग के नियमित कर्मचारियों पर ही लागू होता है जबकि डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों और अन्य केंद्रीय

सरकारी विभागों के कर्मचारियों को इस निर्णय के लाभ से वंचित रखा गया है। महा परिपद संयुक्त मोर्चा सरकार से इस पक्षपात को और दूरी किये बिना समाप्त करने का अनुरोध करती है।

बीमा उद्योग का निजीकरण

महा परिपद भारत सरकार से मांग करती है कि वह बीमा उद्योग के किवाड़ खोलने (देशी तथा विदेशी निजी पूंजी के लिये) तथा उसका निजीकरण करने के प्रयासों को छोड़ दे। महापरिपद (जनरल कौंसल) रेखांकित करती है कि इस प्रकार किवाड़ खोलने से एल आइ सी तथा जी आइ सी की स्थिति कमजोर हो होगी और सौंझ न्यूनतम कार्यक्रम तथा उसके साथ-साथ मंत्रियों की घोषणाओं के अनुरूप वह सुदृढ़ नहीं होगी। बीमा नियंत्रक प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक में यद्यपि उस आपत्तिजनक अनुच्छेद जिसके अन्तर्गत आइ आर ए को निजी संचालकों के लिये लाइसेंस जारी करने की शक्तियाँ दी जानी थीं, को जन प्रतिरोध के चलते समाप्त करना पड़ा है तथापि निजीकरण के पक्ष में अलग-अलग व्याख्याएं करने के लिये यह विधेयक पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिये। एल आइ सी तथा जी आइ सी को पूर्ण स्वायत्ता दी जाए और सभी मामलों जिनमें उत्पाद, मूल्यन तथा कार्मिक जैसे मामलों भी सम्मिलित हैं, में निर्णय लेने के पूर्ण अधिकार दिये जाने चाहिये। महापरिपद (जनरल कौंसल) के विचारानुसार एल आइ सी तथा जी आइ सी को सुदृढ़ बनाने का केवल यही एकमात्र मार्ग है।

महापरिपद (जनरल कौंसल) बीमा कर्मचारियों द्वारा चलाए गए अथक अधियान तथा संघर्षों के लिये उनकी सराहना करती है; वह रेखांकित करती है कि अपने अथक प्रयासों के कारण ही ए आइ आइ ई ए तथा उसकी इकाईयाँ बीमा उद्योग के निजीकरण के विरोध में देश के 65 लाख लोगों से हस्ताक्षर करा सकी हैं; वे सार्वजनिक जीवन में सम्माननीय 10,000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों से इसके विरोध में पत्र प्राप्त कर सकी हैं; देशभर में हजारों संगठितियों तथा सभाओं का आयोजन कर सकी हैं, लोगों से मिलने के लिये जलथा कार्यक्रम चला सकी हैं, इन सबके फलस्वरूप उनका आंदोलन केंद्रीय सरकार की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध चल रहे जन आंदोलन का एक भाग बन सका है। ए आइ आइ ई ए के आह्वान पर 6 दिसम्बर, 1996 को सम्पन्न हड़ताल को अन्य श्रमिक संगठनों का प्रत्युत्तर भी मिला है। यह कर्मचारियों के संघर्ष की एक सशक्त संयुक्त कार्रवाई थी। महा परिपद (जनरल कौंसल) हड़ताल को सफल बनाने के लिये सभी बीमा कर्मचारियों को बधाई देती है। परिपद जहाँ निजीकरण के विरुद्ध बीमा कर्मचारियों के आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करती है वहीं संघर्ष के मंच को और विशाल बनाने का अनुरोध भी करती है ताकि इस संघर्ष में जनता के सभी वर्गों, परिवर्ती लोगों तथा अन्य जन संगठनों को भी सम्मिलित किया जा सके और पूर्ण दृढ़ता के साथ संघर्ष को जारी रखा जा सके।

विज्ञाप इस्पात संयंत्र को पूर्ण करने तथा

चुस्त-दुरुस्त बनाने के सम्बन्ध में

महापरिपद (जनरल कौंसल) भारत के अत्यंत (अथवा सर्वाधिक) आधुनिक इस्पात संयंत्र को बिगड़ रही वित्तीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त

करती है। विशाखापटनम इस्पात संयंत्र अपनी उच्च उत्पादकता तथा श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन होने पर भी भारत सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण खराब स्थिति में है।

भारत सरकार ने इस संयंत्र को स्थापित करने की योजना 1960 के दशक के आरम्भ में ही बना ली थी और उसकी स्थापित क्षमता (इंस्टाल्ड कैपेसिटी) 40 लाख टन रखी गई और इसका शिलान्यास वर्ष 1973 में किया गया। किन्तु भारत सरकार द्वारा समय पर फंड उपलब्ध नहीं करने और मूल योजना में अनेक परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप इस संयंत्र का शुरु करने में असाधारण विलम्ब हुआ। अन्ततः यह संयंत्र वर्ष 1988 में चालू किया जा सका। उसकी अनुमानित प्रारम्भिक लागत केवल 2800 करोड़ रुपये थी। किन्तु असामान्य देरी के कारण यह लागत 8500 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई।

सरकार की कपटपूर्ण नीति के चलते यह संयंत्र दो प्रमुख कमियों से ग्रस्त है। पहली, उसकी इस्पात बनाने की क्षमता को मूल परियोजना में उल्लिखित 1.15 एम टी की एक स्टील मैल्टिंग शाप को समाप्त करके, कम कर दिया गया है। दूसरे, उस पर व्याज तथा ऋण का भारी बोझ जो लागत से भी अधिक हो जाता है और संयंत्र इसे झेल पाने की स्थिति में नहीं है। इसके परिणामस्वरूप संयंत्र को प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ती है जबकि इस संयंत्र को उत्पादकता भिलाई तथा जोकोरो स्थिति इस्पात संयंत्रों से भी अधिक है। उसका संचित घाटा अब बढ़ कर लगभग 3200 करोड़ रुपये हो चुका है।

महापरिषद (जनरल कौंसल) का मानना है कि देश के इस सर्वाधिक आधुनिक तथा अत्यंत कुशल इस्पात संयंत्र को जीवनक्षय बनाने तथा उसके भविष्य को संचालने के लिये अधोलिखित कदम तत्काल प्रभाव से उठाए जाने चाहिये।

1. संयंत्र की अब तक निर्मित पूर्ण कार्य क्षमता को उपयोग में लाकर उसकी इस्पात बनाने की क्षमता को आंका जाए और यह काम मूल परियोजना के अनुसार 1.15 एम टी की स्टील मैल्टिंग शाप नम्बर-2 की स्थापना करके किया जाए।

2. भारत सरकार द्वारा फण्ड जारी करने के मामले में की गई देरी के चलते चढ़े पुरे ऋण को माफ कर दिया जाए।

3. कोयला एवं अन्य धातुओं के आयात तथा उत्पादों के निर्यात हेतु गंगावरम क्रोक को कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के रूप में विकसित किया जाए; इससे संयंत्र के भाड़ा खर्च लगभग 80 करोड़ रुपये वार्षिक की बचत होगी।

महा परिषद (जनरल कौंसल) भारत सरकार से मांग करती है कि वह पूर्ण गम्भीरता के साथ उपरोक्त कदम उठाए जिससे विजाग इस्पात संयंत्र की देश का कम्पायनात स्वास्थ्य इस्पात संयंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और इस्पात उत्पादन के मामले में देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। इन कदमों को उठाने से उद्यमियों तथा निवेशकों को अपने अनुषंगिक उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा और देश के हजारों उछड़े लोगों तथा अर्थों की रोजगार मिल सकेगा। विजाग इस्पात संयंत्र की स्थिति सुधरने से उस क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश की अर्थ व्यवस्था को विकसित करने के मामले में प्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी।

एस्क्रेको का आधुनिकीकरण

एस्क्रेको के आधुनिकीकरण के लिये 3000 (तीन हजार) करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। एक रूसी संगठन टी पी ई ने भारत सरकार के पास रुखल जना करने के बदले यह काम करने के लिये अपनी इच्छा व्यक्त की है। यह मामला अभी भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में विचारार्थी है। सरकार इस

मामले में अनावश्यक विलम्ब कर रही है।

महा परिषद (जनरल कौंसल) भारत सरकार से जोरदार मांग करती है कि वह इस मामले को निपटाए तथा सार्वजनिक क्षेत्र में सेल (एस ए आइ एल) के एक भाग के रूप में शीघ्र ही एस्क्रेको का आधुनिकीकरण शुरू करे।

हरियाणा में पालिका कर्मचारियों की हड़ताल

हरियाणा राज्य की 82 नगर पालिकाओं तथा निगमों के 23000 कर्मचारी राजकोष से वेतन के नियमित भुगतान, दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने, बोनस तथा भविष्य निधि की मांग और निजीकरण के विरोध में 20 दिसम्बर, 1996 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

हरियाणा की एच बी पी तथा भाजपा सरकार इन मांगों को स्वीकार करने की अपेक्षा कर्मचारियों को भयभीत एवं आतंकित करने में कोई कौर-कसर शेष नहीं छोड़ रही। 4000 से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार करके जेल की सीखचों में बंद कर दिया गया है। सैकड़ों महिला कर्मचारियों विशेष रूप से सफाई सेविकाओं को भी जेल में बंद किया गया है। एस्मा लागू किया गया है।

संघ तथा भाजपा के कार्यकर्ता हड़ताली कर्मचारियों का विरोध करने के लिये सड़कों पर आ गए हैं। किन्तु वे (संघ तथा भाजपा कार्यकर्ता) हड़ताली कर्मचारियों को हतोत्साहित नहीं कर सके। इसका श्रेय सर्व कर्मचारी संघ को एकजुट कार्रवाई को ही जाता है और सी आइ टी यू द्वारा पालिका कर्मचारियों को इस हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ के लगभग 600 कार्यकर्ताओं ने हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में गिरफ्तारियां दी हैं।

जनरल कौंसल पालिका कर्मचारियों के प्रति हरियाणा की बी एच पी-भाजपा सरकार के रुख की कड़ी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि वह कर्मचारियों तथा राज्य को जनता के वृहत हितों में कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का तत्काल निपटारा करे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल

महा परिषद (जनरल कौंसल) आंगनवाड़ी महिलाओं की संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 31 जनवरी, 1997 को एक दिवसीय हड़ताल के लिये किये गए आह्वान का पूर्ण समर्थन करती है। यह हड़ताल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को नियमित करने, अंतरिम कदम के रूप में न्यूनतम वेतन का भुगतान करने की मांगों के लिये और निजीकरण के विरोध में की जा रही है। सी आइ टी यू अपने साथ सम्बद्ध सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हड़ताल में भाग लेने तथा उसे सफल बनाने का आह्वान करता है।

बीडी श्रमिकों का संसद की ओर कूच

महा परिषद (जनरल कौंसल) बीडी श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा 3 मार्च, 1997 में की संसद की ओर कूच कार्यक्रम के लिये भारत भर के बीडी श्रमिकों को सामबंद करने के निर्णय का पूर्ण समर्थन करती है। बीडी श्रमिकों के महासंघ ने यह निर्णय 29 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक शोलापुर में आयोजित अपने सम्मेलन में लिया था। संसद की ओर कूच का यह कार्यक्रम न्यूनतम वेतन, छोटी सिगरेट के लिये आबकारी शुल्क में दी गई छूट को वापस लेने, पेंशन, भविष्य निधि, अवास इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण मांगों की प्राप्ति के लिये किया जा रहा है।

बैठक उन सभी राज्यों जहां बीडी बनाई जाती है, की समितियों को आह्वान करती है कि वे हजारों की संख्या में बीडी श्रमिकों को सामबंद करके इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाए।